(1)

न्यायालय मैं- श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर [illegible]

बबुला बैगा उम्र 60 वर्ष पिता बूटाबैगा निवासी ग्राम झगरहा , थाना शहडोल

तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल (म0 प्र0) ... निगराकार

विरूद्ध निग - 148 - III - 16

गैरनिगराकार

म0 प्र0 शासन ...

श्री डी० के० पाण्डेय आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत 15-12-15
अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग

श्रीमान् तहसीलदार महोदय सोहागपुर जिला-शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक-01 /अ-3/2015-16, शीर्षक बबुला बनाम शासन में पारित आदेश दिनांक-08-10-015 के विरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता

....

64
11-1-16

नकल
11-1-16

मान्यवर,

निगराकार यह निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :-

मामले के तथ्य

निगराकार ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में खसरा क्रमांक-49/4 रकवा 0.314, खसरा क्रमांक- 50/5 रकवा 0.102 एवं खसरा क्रमांक-232/4 रकवा 0.137 स्थित ग्राम अन्तरी तहसील सोहागपुर जिला-शहडोल का नक्शा तरमीम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसका प्रकरण क्रमांक-01 /अ3/2015-16 था । उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाना नक्शा तरमीम प्रस्ताव पारित किया जिसे माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक-8-10-0[illegible] को पुष्ट कर दिया था। जिससे व्यथित होकर निगराकार को यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करनी पड़ रही है।

निगरानी के आधार

1- यहकि, आलोच्य आदेश कानूनन एवं वाक्यातन गलत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि, खसरा नं0- 49/4 रकवा 0.134 का कुछ रकवा शहडोल केलमनिया रोड के पार भी जाता है । निगराकार उक्त रोड के पार भी [illegible]

(3)

R-149-III/16 शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-19	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उप० नहीं। अना० शासकीय अभि० श्री राजेश पाठक उप०। आवेदक व उनके अभि० को समय-समय पर तीन बार पुकार लगाई गई। फिर भी कोई उप० नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। न्यायाधीश 5/7	
शेखर		